‘सशस्त्र हिंसा विकास की गति धीमी करती है और सहस्राबदी लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) के पूरा होने में अवरोध उत्पन्न करती है’

‘सशस्त्र हिंसा में कमी और रोकथाम के द्वारा विकास को बढ़ावा’ देने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट (ए/64/228)

जिनिवा घोषणापत्र सचिवालय
द्वारा दि स्मॉल आर्म्स सर्वे
47 एवेन्यू ब्लॉं
1202 जिनिवा
स्विट्ज़रलैंड

T +41 22 908 5777
F +41 22 732 2738
E info@genevadeclaration.org
W www.genevadeclaration.org

जिनिवा घोषणापत्र
सशस्त्र हिंसा और विकास पर

सशस्त्र हिंसा और विकास

पिछले कुछ सालों में भले सशस्त्र संघर्ष में कमी आई है, लेकिन सशस्त्र हिंसा में मरनेवालों की संख्या नहीं घटी है। हर साल सशस्त्र हिंसा की वजह से 7,40,000 पुरुष, महिला और बच्चे मौत का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश – तकरीबन 4,90,000 – वैसे देशों में मरते हैं जिनपर सशस्त्र संघर्ष का कोई प्रभाव नहीं।

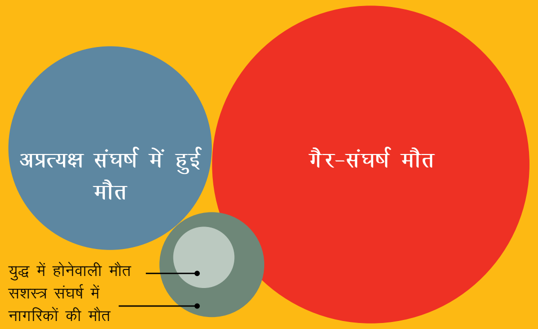

सशस्त्र हिंसा का आर्थिक प्रभाव काफी विस्तृत और दूरगामी है। गैर–संघर्ष सशस्त्र हिंसा की वजह से हर साल खोई हुई उत्पादकता के रूप में करीब 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है जो बढ़कर 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। सशस्त्र संघर्ष की वजह से होनेवाली हिंसा किसी भी अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि में दो प्रतिशत तक की कमी ला सकती है।

सशस्त्र हिंसा के नकारात्मक प्रभाव इन इंसानी और आर्थिक कीमतों से कहीं ज्यादा हैं। सशस्त्र हिंसा की वजह से लोग विस्थापन के लिए मजबूर होते हैं, सामाजिक पूंजी और मूलभूत ढांचा भी नष्ट होता है। पुनर्निमाण और सुलह पर होनेवाले निवेश को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। सशस्त्र हिंसा सार्वजनिक संस्थानों को नुकसान पहुंचा सकती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और अपराध के लिए मिलनेवाली सजा की मुक्ति के लिए अनुकूल माहौल मिलता है।

सशस्त्र हिंसा को लोगों, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराध की वजह से बढ़ावा मिलता है। जब इसे वैयक्तिक और लिंग–आधारित हिंसा से जोड़ा जाता है तो ये परिवारों और समुदायों की बुनावट को भी उघाड़ देता है, जिसके दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक घाव हिंसा के उत्तरजीवियों पर दिखाई देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास पर सशस्त्र हिंसा के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार किया है। सशस्त्र हिंसा के प्रभाव को सहस्राबदी लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) के पूरा होने की मार्ग में एक गंभीर बाधा माना जा रहा है।

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र दर्शाता है कि कैसे अल्प विकास और सशस्त्र हिंसा एक–दूसरे से जुड़े हैं।

फोटो क्रेडिट

मुखपृष्ठ:
© फ्रेडरिक नौमेन/पानोस पिक्चर्स

अंदर के फ्लैप पर:
© एंड्रू मैक्कॉनेल/पानोस पिक्चर्स

बायां पृष्ठ:
© जेफ जे. मिशेल/गेटी इमेजेस

अंदर बीच में:
©ईटन अब्रामोविक/एफपी/गेटी इमेजेस

जिनिवा घोषणापत्र
सशस्त्र हिंसा और विकास पर

जिनिवा घोषणापत्र

सशस्त्र हिंसा और विकास पर

‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये स्वीकार करता है कि सशस्त्र हिंसा और संघर्ष सहस्राबदी लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) के पूरा होने में अवरोध उत्पन्न करता है’

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र

‘2015 तक हम सशस्त्र हिंसा के वैश्विक बोझ करने की राह में अहम कदम उठाने और दुनियाभर में इंसानी सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं’

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र क्या है ?

जून 2006 में स्विटजरलैंड और यूएनडीपी ने कई देशों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और सामाजिक संगठनों को जिनिवा में एक मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन का मकसद सशस्त्र हिंसा के वैश्विक संकट को रोकने और उसमें कमी लाने के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाना और स्थायी विकास की संभावनाओं को बढ़ाना था।

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र ये मानता है कि सशस्त्र हिंसा अल्पविकास का एक कारण भी है और नतीजा भी और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ते के पूरा होने की राह में एक बड़ी बाधा है। ये घोषणापत्र देशों को सशस्त्र हिंसा में कमी लाने के लिए कदम उठाने और 2015 तक इंसानी सुरक्षा में सुधार की मांग करता है।

जिनिवा घोषणापत्र को 100 से अधिक देशों ने अनुमोदित किया है।

14 हस्ताक्षरकर्ताओं और संबंधित संगठनों का एक कोर समूह जिनिवा घोषणापत्र को लागू कराने के लिए मार्गदर्शन देता है। राष्ट्रीय और स्थानीय वास्तविकताओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील सशस्त्र हिंसा में कमी और उसको रोकने के कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में तेजी लाने के लिए कोर समूह ने तीन मुख्य आधारस्तंभों के लिए एक ढांचा तैयार किया है:

1. **हिमायत, प्रसार और तालमेल** ताकि विकास पर सशस्त्र हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता बढ़ाई जा सके।

2. **परिमापन और निगरानी** ताकि विकास पर सशस्त्र हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के विस्तार, फैलाव और वितरण को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

3. **विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम** बनाना

कोर समूह देश

ब्राजील, कोलंबिया, फिनलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, केन्या, मोरक्को, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फिलीपीन्स, स्पेन, स्विट्जरलैंड (अध्यक्ष), थाईलैंड, यूनाईटेड किंगडम

संबंधित संगठन

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

स्मॉल आर्म्स सर्वे

क्वेकर संयुक्त राष्ट्र ऑफिस

‘ग्लोबल बर्डन ऑफ आर्म्ड वायलेंस रिपोर्ट सशस्त्र हिंसा के नकारात्मक प्रभाव को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम – और एक प्रभावी प्रतिक्रिया – है।’

मिशेलिन काल्मी रे, स्विस विदेश मंत्री, ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ आर्म्ड वायलेंस’ रिपोर्ट की भूमिका में

1. हिमायत, प्रसार और तालमेल

कई देशों की सरकारों और दाता एजेंसियां वाकिफ नहीं कि सशस्त्र हिंसा विकास और सहायता के प्रभाव पर कैसे नकारात्मक असर डालती है। देशों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और समाज में विकास पर सशस्त्र हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के बारे जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है।

उच्चस्तरीय जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस करना एक अहम कदम है। अप्रैल 2007 में लैटिन अमेरिकी देशों के लिए ग्वाटेमाला में, अफ्रिकी देशों के लिए नैरोबी (अक्टूबर 2007) में, एशिया–पैसिफिक देशों के लिए बैंकॉक में (मई 2008) और दक्षिण–पूर्वी यूरोप और कॉकसस देशों के लिए सराजेवो में (नवंबर 2008) में कई क्षेत्रीय बैठकें हुई जिसकी वजह से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्रीय घोषणापत्र बनाए गए। 12 सितंबर 2008 को जिनिवा घोषणापत्र समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 85 हस्ताक्षरकर्ता देशों और कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ और संस्थान शामिल हुए।

नवंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव (ए/आरईएस/63/23) अंगीकृत किया, कोर समूह सदस्यों से इस प्रस्ताव का परिचय कराया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सशस्त्र हिंसा और विकास के आपसी संबंध पर सदस्य देशों के विचार जानने का अनुरोध किया। इस प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में "सशस्त्र हिंसा में रोक और कमी के जरिए विकास को बढ़ावा" पर एक रिपोर्ट पेश किया।

2. परिमापन और निगरानी

ये अत्यंत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसे साक्ष्यों के आधार पेश करे जो सशस्त्र हिंसा के विकास और उत्पादकता के प्रभाव को माप सके, और सशस्त्र हिंसा पर रोक और उसमें कमी के लिए प्रभावी पहल विकसित करे। खतरों से कैसे निपटा जाए, रक्षात्मक कारकों को कैसे बढ़ावा मिले और सशस्त्र हिंसा के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, ये तथ्य नीतियां बनानेवाले और उन्हें लागू करनेवालों, दोनों के लिए आवश्यक है।

स्मॉल आर्म्स सर्वे जिनिवा की एक शोध संस्था है जिसे जिनिवा कोर समूह ने सशस्त्र हिंसा के विस्तार, वितरण और प्रभाव पर ज्ञानवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से संयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। 2006 से ये संस्था विश्व के कई शोध सहयोगियों के साथ सशस्त्र हिंसा के वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय पहलुओं पर शोध पत्र तैयार करने और अनुभवजन्य अध्ययन की दिशा में काम कर रही है। इनमें बुरुंडी, ग्वाटेमाला और तिमोर जैसे देशों का प्रतिचित्रण और "ग्लोबल बर्डन ऑफ आर्म्ड वायलेंस (सशस्त्र हिंसा का अंतरराष्ट्रीय वैश्विक बोझ) नाम से एक लिखी गई एक किताब शामिल है।

दुनिया पर सशस्त्र हिंसा के बोझ पर पहली रिपोर्ट (ग्लोबल बर्डन ऑफ आर्म्ड वायलेंस) 2008 में जारी हुई, जो सशस्त्र हिंसा की अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति और स्वरूप पर नए और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराती है। ये रिपोर्ट सशस्त्र हिंसा के कुछ खास संकेतकों पर प्रकाश डालती है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष में होनेवाली मौत, हिंसक घटनाएं और सशस्त्र हिंसा के आर्थिक प्रभाव और उसकी कीमत शामिल है। इस रिपोर्ट में लिंग, संघर्ष के बाद हिंसा और हिंसा के विभिन्न रूपों, जैसे विस्थापन, न्यायेतर मौत और अपहरण शामिल है।

‘सशस्त्र हिंसा में कमी लाना जटिल है और इसके लिए एक व्यापक और विस्तृत पद्धति की आवश्यकता है। इसके लिए पारंपरिक रेखाओं से ऊपर उठकर सहयोग करने और विविध सहयोगियों को एक बेहतर और ज्यादा सुरक्षित दुनिया के लिए संगठित करने की की जरूरत है।’

कैथलीन क्रैवेरो, यूएनडीपी, सह प्रबंधक एवं निदेश, ब्यूरो ऑफ क्राइसिस प्रिवेन्शन एंड रिकवरी (बीसीपीआर), जिनिवा घोषणापत्र समीक्षा के दौरान दिए गए भाषण से, 12 सितंबर 2008

3. कार्यक्रम बनाना

2015 तक सशस्त्र हिंसा में गौर करने लायक कमी लाने के लिए ये जरूरी है कि प्रभावित सरकारों और समाजों की क्षमताएं बढ़ाई जाएं, ताकि सशस्त्र हिंसा में कमी लाने और उसे रोकने के लिए बेहतर संयोजित, सुसंगत और संपूरक कार्यक्रम बनाए जा सकें।

जिनिवा घोषणापत्र प्रक्रिया कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान दे रही है और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें यूएनडीपी और अन्य अंतरराष्ट्रीय दाता समुदायों के साथ मिलकर सशस्त्र हिंसा की रोकथाम और उसमें कमी लाने के लिए जो विशेष कार्यक्रम चला रही हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर ध्यान दे रही है।

जिनिवा घोषणापत्र सचिवालय आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) की विकास सहयोग कमिटी (डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी) के साथ करीबी सहयोग करता है जो सशस्त्र हिंसा की रोकथाम और उसमें कमी लाने के लिए दिशा–निर्देश स्थापित कर रहे हैं।

समाज जिनिवा घोषणापत्र प्रक्रिया और इसके कार्यक्रमों की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका अदा करता है। क्वेकर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (क्वेकर यूएन ऑफिस या क्यूयूएनओ) समाज में सामंजस्य स्थापित करने और सशस्त्र हिंसा में कमी और प्रभावी रोकथाम के लिए सूचनाओं के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की ओर कार्यरत है।